सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0(भारत)

Website :www.suksn.edu.in,Email Id: coe@suksn.edu.in

अधिसूचना

एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20–04–2026 के बिन्दु सं0 04 में की गई संस्तुति तथा विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 07–05–2026 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08–05–2026 में अनुमोदन के क्रम में राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश के पत्रांक ई–7443/03–जी0एस0/2019(TC) दिनांक 26–11–2020 द्वारा प्रस्तावित चुनौती मूल्यांकन अध्यादेश को **सम सेमेस्टर परीक्षा 2025–26** से लागू किया जाता है।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.suksn.edu.in पर उपलब्ध है, जिसे अवलोकित किया जा सकता है।

संलग्नक–यथोपरि।

परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक– 5647/प0सा0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक 23 –05–2026

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अधिष्ठाता/कुलानुशासक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि अपने महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को अपने स्तर से सूचित कराना सुनिश्चित करें।
4. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. डॉ0 अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी, सिद्धार्थ वि0वि0क0,सि0।
6. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु

परीक्षा नियंत्रक

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ०प्र०(भारत)

Website :www.suksn.edu.in,Email Id: coe@suksn.edu.in

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation)

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तरप्रदेश के पत्र संख्या ई–7443/03–जी0एस0/2019(टी0सी0) दिनांक 26–11–2026 द्वारा निर्धारित चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20–04–2026 की संस्तुति के क्रम में निम्न रूप से क्रियान्वयन किया जाना है।

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) दो चरण में होगा–

1– मूल्यांकित मूल उत्तरपुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) देखने की सुविधा

2– मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा।

प्रथम चरण परिनिरीक्षण (Scrutiny) के आवेदन अवधि के प्रकार व शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 (तीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रथम चरण परिनिरीक्षण (Scrutiny) के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू0 300/– प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

1– आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तरपुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी।

उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का मूल्यांकन न होने, अंकों के योग में त्रुटि होने, उत्तर पुस्तिका में प्राप्त अंक तथा अभ्यर्थी के परीक्षाफल के अंकों में अंतर होने की दशा में अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका की (scanned copy) प्राप्त होने की तिथि से 07 दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर Website :www.suksn.edu.in के Student Portal लिंक के माध्यम से त्रुटि निवारण हेतु ऑनलाइन ही सूचित करना होगा। परिनिरीक्षण (Scrutiny) हेतु अभ्यर्थी को Scrutiny लिंक पर Click करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।**

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ई–मेल के माध्यम से प्राप्त एवं अवलोकित की जा चुकी उत्तरपुस्तिकाओं का प्रश्न–पत्र वार विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा DU Number, Applicant Number एवं प्रश्न पत्र का सही प्रकार मिलान कर इच्छित प्रश्न–पत्र का चयन किया जायेगा। प्रश्न–पत्र के चयन के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में विद्यमान त्रुटि का दिये गये विकल्पों में से चयन किया जायेगा। परिनिरीक्षण (Scrutiny) से सम्बन्धित त्रुटियों के निवारण हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका में किसी त्रुटि हेतु आवेदन करने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में कोई संशोधन होता है तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन ही उक्त संशोधन से अवगत कराया जायेगा तथा संशोधित प्राप्तांकों के आधार पर उसका परीक्षाफल घोषित कर दिया जायेगा।

द्वितीय चरण चुनौती मूल्यांकन हेतु उत्तरपुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में–

2– परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर **प्रथम चरण** उपरान्त चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि–

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैंतालिस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क—

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू0 2500/— प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया—

1— प्रत्येक प्रश्न पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण हेतु कम से कम 4 (चार) विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों की एक नामावली (Panel) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जायेगी।

2— चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए प्रस्तुत उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा करवाया जायेगा।

3—विषय विशेषज्ञ/परीक्षक को नामित करने का कार्य विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी।

4—चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंकों का विवरण छिपा दिया जाए।

5—सम्बन्धित उत्तरपुस्तिका की दो छाया प्रतियां तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के सम्बन्ध में—

1— दोनों विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।

2—यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक।

3—यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20 प्रतिशत से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गये शुल्क रू0 2500/— में से रू0 1000/— की धनराशि काटकर शेष धनराशि परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए।

मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में—

1—चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में प्राप्तांक अंकों में 20 प्रतिशत से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाए।

2—यदि ऐसे परीक्षक के 03 (तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के, सम्बन्धित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 05 (पांच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा सम्बन्धी कार्यो से विवर्जित (debarred) रखा जाए और यदि 10 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ—साथ ऐसे परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए।

नोट— **परिनिरीक्षण (Scrutiny) व चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही की जायेगी। ऑफलाइन आवेदन व शुल्क किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा। उपरोक्त दोनों प्रक्रियाएं निर्धारित अवधि में ही मान्य होंगी। कालातीत प्रकरण विचारणीय नहीं होगा।**